<u>न्यायालयः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 898/2021

राकेश पारेता पुत्र जगन्नाथ, निवासी-अकलेरा, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

परिवादी....

बनाम

अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा, निवासी मीणा समाज धर्मशाला रेस्ट हाउस रोड़ अकलेरा, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

अभियुक्त....

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. श्री रामअवतार गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।
2. श्री योगेश कुमार गोयल, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः-19-03-2026

1. परिवादी की ओर से जरिए अधिवक्ता यह परिवाद अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में परिवाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि फरियादी से मुल्जिम ने घरेलू कार्य हेतु 1,20,000/-रूपए उधार लिए थे, जिसके भुगतान 1,20,000/-रूपये की अदायगी हेतु राशि 1,20,000/- रूपए का एक चैक, चेक नंबर 000020 दिनांक 01-02-2021, खाता संख्या 2111539055, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा अकलेरा का अपने हस्ताक्षर कर दिया। फरियादी ने उक्त चेक भुगतान प्राप्त करने हेतु बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अकलेरा में उसके बचत खाते में जमा कराया, जो बैंक द्वारा बिना भुगतान के रिफण्ड मैमो दिनांक 05-02-2021 से मुलजिम के खाते में पर्याप्त धन राशि नहीं होने के कारण 'Funds Insufficient' के नोट के साथ उक्त चैक अनादृत कर लौटा दिया। परिवादी ने उसके अधिवक्ता के जरिए दिनांक 01-03-2021 को मुलजिम को जरिए रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सूचना उसके पते पर भिजवायी। उक्त रजिस्टर्ड नोटिस मुलजिम को प्राप्त हो गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी न तो मुलजिम ने उक्त नोटिस का कोई जवाब ही दिया और न ही चेक राशि उसको अदा की। मुलजिम को नोटिस में दी गई समय अवधि समाप्त हो गई। इस कारण परिवाद पेश करने का कारण पैदा हुआ। मुलजिम ने प्रारम्भ से ही बेईमानीपूर्वक आशय रखकर उसके खाते में पर्याप्त निधि नहीं होने के उपरांत भी उक्त चेक जारी किया। अतः निवेदन है कि मुलजिम के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर उसके जुर्म की सख़्त सजा भुगतायी जाए व फरियादी की राशि मय हर्जाना मुलजिम से दिलाया जावे।, इत्यादि।

3. परिवादी की ओर से अपने परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादी राकेश पारेता का शपथ पत्र तथा दस्तावेज़ात असल चैक, रिटर्न मेमो, रजिस्टर्ड नोटिस, पोस्ट ऑफिस रसीद, नोटिस प्राप्ति रसीद, व ट्रेक कंसाइनमेंट आदि प्रस्तुत किये गए हैं।

4. बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला बनना पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

5. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के उपस्थित आने पर अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

6. परिवादी की ओर से साक्ष्य परिवादी में ए.डब्ल्यू. 01 राकेश पारेता का मुख्य परीक्षा का शपथ-पत्र पेश कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए. 01 असल चैक, प्रदर्श ए. 02 रिटर्न मेमो, प्रदर्श ए. 03 रजिस्टर्ड नोटिस, प्रदर्श ए. 04 पोस्ट ऑफिस रसीद, प्रदर्श ए. 05 नोटिस प्राप्ति रसीद, प्रदर्श ए. 06 ट्रेक कंसाइनमेंट पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

7. साक्ष्य परिवादी समाप्त होने पर अभियुक्त के बयान तहत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किए गए, तो अभियुक्त ने परिवादी की साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया जिस पर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

8. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. प्रकरण के अवधारण के लिये मुख्य रूप से अवधारित बिन्दु यह है किः-

(1). आया अभियुक्त ने परिवादी से घरेलू आवश्यकता हेतु रूपयों की अदायगी हेतु यह जानते हुए कि उसके खाते में पर्याप्त निधि नहीं है, एक चेक संख्या 000020 तादादी 1,20,000/- रूपए दिनांक 01-02-2021 का परिवादी को दिया तथा उक्त चेक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण संबंधित बैंक के द्वारा अनादरित किया गया एवं परिवादी की ओर से अभियुक्त को चेक में वर्णित राशि की अदायगी हेतु नोटिस दिये जाने के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा चेक राशि का भुगतान नहीं कर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया गया?

(2). यदि हाँ तो अभियुक्त को क्या सजा तजवीज की जाए?

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अधिवक्ता परिवादी का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अभियुक्त द्वारा परिवादी से घरेलू कार्य हेतु रूपए उधार लिए थे जिसके भुगतान की राशि चुकाने हेतु अपने हस्ताक्षर कर विवादित चेक प्रदान किया गया था, जो कि अनादरित हुआ है, जिसपर परिवादी द्वारा अभियुक्त को जरिए अधिवक्ता चेक राशि का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया, परन्तु नोटिस प्राप्त हो जाने तथा नोटिस की अवधि समाप्त होने तक भी चेक की राशि की अदायगी नहीं की गई। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर विधि अनुसार दण्डित किया जाए।

11. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि परिवादी ने अभियुक्त को कोई रूपए उधार नहीं दिए। परिवादी ने दुकान में से खाली चैक निकाल लिया था, जिसका परिवादी ने दुरूपयोग कर न्यायालय में झूठा पेश किया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा स्वयं के तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया।

(1). विजय बनाम लक्ष्मण, 2013(2) जे.एल.जे. 1 सु.को. 2013(2), म.प्र.लॉ.ज. 615:2013(4) एम.पी.एच.टी. 171:2013(2) म.प्र.

(2). मुजीव हुसैन बनाम स्माईल, 2019 (2) म.प्र.लॉ.ज. 285 म.प्र.)

(3). मेसर्स भारत सेल्स कार्पोरेशन बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, 2004 क्रि.लॉ.ज. 4569 (आदर्श स्टेशनरी बनाम श्री महावीर एजेन्सी 2018 (1) अपराध निर्णय जर्नल 156:2018 (1) मनिसा 90

(4). नुटेक ओर्गेनिक केमिकल लिमिटेड बनाम जी.एम.आर. टेक्नोलोजी एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2003 (3) बी.सी. 435 आन्ध्रप्रदेश

(5). गुरूशेखरन बनाम अरूणाचालम, 2018(2) बी.सी. 145 मद्रास

(6). शेख जलाल बनाम स्टेट ऑफ गोवा, 2018(1) बी.सी. 7 सी.एन. बम्बई

(7). एस.एन. डगोलकर बनाम डयूरोप्लस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड 2007 (2) क्राइम्स 469 कलकत्ता

(8). शोभा चौहान बनाम गोपीचन्द खत्री, 2017(1) म.प्र.लॉ.ज. (क्रिमिनल) 96

(9). राजाराम पुत्र श्रीरामुल्लु नायडू बनाम मरूथाचलम 2023 सी.आर.एल.आर (एससी) 1 क्रिमिनल अपील नं. 1978 ऑफ 2013

(10). श्रीदत्तात्रेय बनाम श्रनप्पा 2024 सी.आर.एल.आर (एससी) 944 क्रिमिनल अपील नं. 3257 ऑफ 2024

12. अधिवक्ता अभियुक्त की बहस के विरोध में परिवादी की ओर से पुनः निवदेन किया गया कि प्रश्नगत चेक अभियुक्त द्वारा ही परिवादी को दिया गया था।

13. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा बहस के प्रकाश में संबंधित विधि एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

14. प्रकरण के अवधारण के लिये मुख्य अवधारित बिन्दु ये हैं किः-

(1) क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को किसी विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे प्रदर्श ए. 01 चेक संख्या 000020, दिनांकित 01-02-2021 तादादी 1,20,000/- रूपए दिया गया था?

(2) क्या अभियुक्त का उक्त चेक परिवादी द्वारा विहित समयावधि में बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा उक्त चेक अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित कर परिवादी को लौटा दिया गया। जिसपर परिवादी द्वारा अभियुक्त को विहित समयावधि में चेक अनादरण की सूचना दिए जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा विहित समयावधि में परिवादी को चेक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया, जोकि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है?

<u>विचारणीय बिन्दू संख्याः-1</u>

15. उक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में न्यायालय द्वारा यह तय किया जाना है कि "क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक किसी विधिक दायित्व या उधार के उन्मोचन पेटे दिया गया था?" इस संबंध में परिवादी द्वारा अपने साक्ष्य के शपथ-पत्र में अंकित किया गया है कि अभियुक्त ने फरियादी से घरेलू कार्य हेतु दी गई की राशि के भुगतान की अदायगी हेतु दिनांक 01-01-2021 को एक चेक अभियुक्त ने उसकी खाते की बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा अकलेरा का संख्या 000020 राशि 1,20,000/- रूपए का अपने हस्ताक्षरयुक्त परिवादी को जारी किया था। जिरह में परिवादी ने अभिकथित किया कि वह भूमि विकास बैंक में मैनेजर था और वर्ष 2018 में

रिटायर हुआ था। उसने अशोक को व्यक्तिगत कार्य हेतु नगद रूपए दिए थे। अशोक उससे अच्छे परिचित थे इसलिए पैसे दिए थे। रूपए उसने घर पर ही दिए थे। यह उसे जानकारी नहीं है कि 20,000/-रूपए से ज्यादा का लेनदेन नहीं होता। परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श ए. 01 असल चैक, प्रदर्श ए. 02 रिटर्न मेमो, प्रदर्श ए. 03 रजिस्टर्ड नोटिस, प्रदर्श ए. 04 पोस्ट ऑफिस रसीद, प्रदर्श ए. 05 नोटिस प्राप्ति रसीद, प्रदर्श ए. 06 ट्रेक कंसाइनमेंट किए गए हैं।

16. अभियुक्त की ओर से अपनी साक्ष्य सफाई में स्पष्ट तौर पर कथन किया गया है कि उसने राकेश कुमार को कोई चैक जारी नहीं किया। वह राकेश के मकान में किराए की दुकान लगता था। उस कमरे की एक चाबी राकेश के पास भी रहती थी तथा राकेश ने उस दुकान में से उसका एक खाली चैक निकाला था। चैक पर लिखावट पर उसकी हाथ की नहीं है। उसका राकेश से कोई लेनदेन भी नहीं हुआ। परिवादी से कोई रूपए उधार नहीं लिए। परिवादी ने जो उसके विरूद्ध चैक लगाया है वह चैक उसने बतौर सिक्योरिटी परिवादी को दिया था। उक्त चैक परिवादी को रूपये के लेनदेन के लिये नहीं दिया था।

17. जहाँ अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से बहस के दौरान यह तर्क दिया गया है कि परिवादी की आर्थिक स्थिति अभियुक्त को राशि उधार देने की नहीं है एवं परिवादी के द्वारा दी गई उधार की राशि को भी इनकम टैक्स में नहीं दर्शाया गया है जबकि 20,000/-रूपए से अधिक में राशि देना इनकम टैक्स के नियमों के अंतर्गत अपराध है। इस विषय में परिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में वह स्वयं बतौर पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसमें उसके द्वारा अभिकथित किया गया है कि वह भूमि विकास बैंक में मैनेजर था और वर्ष 2018 में रिटायर हुआ था। उसने अशोक को घरेलू कार्य हेतु नगद रूपए दिए थे। अशोक उससे अच्छे परिचित थे इसलिए पैसे दिए थे। रूपए उसने घर पर ही दिए थे। यह उसे जानकारी नहीं है कि 20,000/-रूपए से ज्यादा का लेनदेन नहीं होता। जो रूपए उसने उधार दिए उसने उसकी पर्सनल डायरी में लिखा था। उसने आईटीआर में अशोक से लेनदारी को नहीं दर्शाया। चैक पर लिखावट उसकी हाथ की नहीं है। उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि अशोक ने 3-4 साल पहले उसके मकान में किराए से कमरा ले रखा था।

18. परिवादी अपने बयानों में अभियुक्त को रूपए उधार देना स्वयं के घर पर बताता है, जहाँ उसके द्वारा अभियुक्त को उधार केश में दिया गया था। उक्त दिए गए उधार रूपए की कोई लिखा-पढ़ी भी परिवादी के द्वारा नहीं की गई। यहाँ यह भी गौरतलब है कि परिवादी के द्वारा किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी को संबंधित लेन-देन के विषय में परीक्षित नहीं करवाया गया है। परिवादी अपने स्वयं के बयानों में कथन किया गया है कि वह इनकम टैक्स रिटर्न भरता है। परिवादी अभियुक्त को उधार नगद में देना कहता है, परन्तु उसके द्वारा अभियुक्त अशोक को दी गई उधार राशि को इनकम टैक्स में नहीं दर्शाया गया है। इस विषय में परिवादी द्वारा वर्णित उसकी स्वयं की आय का रिटर्न व उसकी आय का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जो उसकी साक्ष्य पर शंका उत्पन्न करता है। क्योंकि स्वयं उक्त गवाह ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि वह इनकम टैक्स रिटर्न भरता है परंतु इनकम टैक्स में उसने अशोक से लेनदारी का कोई विवरण नहीं दिया, जिससे कि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि परिवादी का अभियुक्त से लेन-देन का कोई व्यवसाय हो। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि बैंक कर्मचारी होने के बावजूद परिवादी कथन करता है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि 20,000/-रूपए से अधिक में राशि देना इनकम टैक्स के नियमों के अंतर्गत अपराध है।

19. प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपनी वित्तीय हैसियत के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। परिवादी ने स्वयं अपने बयानों में अभिकथित किया है कि अशोक से वह अच्छा परिचित था इसलिए उसे जानता है परंतु ऐसा कोई तथ्य परिवादी के द्वारा पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि अभियुक्त की परिवादी से कोई लेन-देन हो, साथ में कोई व्यापार करते हों। परिवादी द्वारा पत्रावली में अभियुक्त को दी गई राशि के संबंध में कोई दस्तावेज़ या दिए गए ऋण बाबत् कोई लिखा-पढ़ी भी पेश नहीं की गई है। ऐसा कोई तथ्य भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जिससे स्पष्ट होता हो कि उधार दी गई राशि वह किसी से लेकर आया हो। आयकर रिटर्न में परिवादी ने देय ऋण को नहीं दर्शाया है, परिवादी ने लेखा बही में संव्यवहार के बाबत् भी कोई प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की है। परिवादी यह साबित करने में विफल रहा है कि उसने अभियुक्त को घरेलू कार्य के लिए कोई ऋण दिया हो। ऐसे में परिवादी अभियुक्त पर विधिक दायित्व होना साबित करने में सफल होता प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त विचारणीय बिन्दु संख्या 1 परिवादी के विरूद्ध तथा अभियुक्त के पक्ष में तय किया जाता है।

20. चूंकि विचारणीय बिन्दु संख्या 1 में परिवादी विधिक दायित्व साबित करने में असफल रहा है। अतः विचारणीय बिन्दु संख्या 02 पर विवेचन किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

21. इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण व विवचेनानुसार अभियुक्त धारा 138 में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

22. अतः अभियुक्त अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा, निवासी मीणा समाज धर्मशाला रेस्ट हाउस रोड़ अकलेरा, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

23. अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्ययालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं.प्र.सं. के तहत् 10,000/- रूपए की एक जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जोकि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

24. निर्णय आज दिनांक 19-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(राजाराम मीना)
आशुलिपिक ग्रेड ।।।

नोटः यह प्रतिलिपि प्रार्थी अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।